निर्णय बइजालास मनीषा तिवारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)

प्रकरण सं 342 / प्रार्थना पत्र / 2019 तारीख दायरा 27.11.2019

## उनवान

राजेश कुमार गौड पुत्र राधेश्याम जाति सिलावट निवासी सिलावट मोहल्ला झालरापाटन

--प्रार्थी

बनाम

1. संयज हाड़ा पुत्र ओम प्रकाश जाति राजपूत निवासी महात्मा गांधी कॉलोनी झालरापाटन हाल निवासी झमकू पैलेस होटल झालरापाटन रोड़ झालावाड़
2. शोभाराम पुत्र मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी पशुपति नाथ मंदिर के पास झालरापाटन
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट आर्डर 39 रूल 1 व 2 तथा धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत स्थगन

उपस्थिति– विद्वान अभिभाषक श्री बच्चूलाल (प्रार्थी)
विद्वान अभिभाषक श्री अमितोष आचार्य (अप्रार्थीगण)

## निर्णय

निर्णय दिनांक – 24.01.2020

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झालरापाटन की आराजी खसरा नम्बर 2063 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2064 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 2065 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2066 रकबा 2 बीधा 19 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। नकल जमाबंदी 2065–68 पेश की है। प्रश्नगत आराजी खातेदारी में दर्ज होते समय मोनाबाई नाबालिग थी अब वह बालिग हो गई है उसकी देखभाल प्रार्थी ही करता है तथा प्रार्थी को वाद लाने का अधिकार है। प्रश्नगत आराजी का हैक्टर में तब्दील हो चुका है जिसका रकबा 0.8852 हैक्टर बन गया है। आराजी खसरा नम्बर 2066 की सरहद दक्षिण दिशा में आराजी खसरा नम्बर 2067 जो मूडलियाखेड़ी तालाब से निकलने वाली नहर तक है। प्रार्थी ने खाते की आराजियात के नक्शे पेश किये हैं। अप्रार्थीगण 1 व 2 प्रार्थी के खाते कब्जे व काश्त की आराजी खसरा नम्बर 2066 में कोई हिस्सा व हित अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने अपनी आराजी 2066 में मेड़ पर पत्थरों की डोली बना रखी है। अप्रार्थीगण 1 व 2 को खसरा नम्बर 2066 में होकर निकलने व आराजी के रास्ते के रूप में उपयोग करने का अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के खाते की आराजी में प्रार्थी की अनुमति व सहमति के बगैर निकलकर आराजी को बर्बाद करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं हैं। अप्रार्थीगण ने 14 व 15 नवम्बर को रात को खसरा नम्बर 2066 में बनाई गई डोली तोड़ दिया है जब प्रार्थी ने उनसे पूछा कि आपने डोली क्यों तोड़ी तो अप्रार्थीगण ने डोली तोड़ना स्वीकार किया और प्रार्थी की आराजी में जबरन रास्ता निकालने को कहा। जबकि खसरा नम्बर 2066 में कोई रास्ता नहीं है। अतः अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से वकील श्री अमितोष आचार्य वकालत नामा पेश किया तथा पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में रखी गई इसी दौरान वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश–26 नियम 9 धारा 151 पेश किया। जिस पर न्यायालय ने तहसीलदार झालरापाटन से मौका रिपोर्ट तलब की गई है जो शामिल पत्रावली गई। तत्पश्चात दिनांक 13.01.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया और पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र में रखी गई।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज0)

P.T.O

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा तहसीलदार झालरापाटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अधोपान्त अध्ययन किया गया तथा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टतया प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता हैं। प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के पिता राधेश्याम गौड़ ने दिनांक 22.04.1974 को जरिये रजिस्टर्ड पत्र क्रय की गई थी जिसमें खसरा नम्बर 2066 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भी शामिल थी जिस पर अप्रार्थीगण रास्ता निकालकर प्रार्थी की कृषि योग्य भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है जिनको उनको कोई कानूनन अधिकार नहीं है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 2066 में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। यह खसरा नम्बर मुडलियाखेड़ी तालाब से निकलने वाली नहर के मध्य खसरा नम्बर 2067 की भूमि है जबकि नजरी नक्शा सन् 1971–72 जो दिनांक 23.09.2009 को जारी किया गया है उसमें नहर 2067 के पीछे दर्शायी हुई है तथा बयनामा फर्द दस्तावेज दिनांक 22.04.1974 जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये है उसमें भी पूरब में बल्लभ कांछी की जमीन, पश्चिम सडक, उत्तर में बिरधीलाल कांछी, दक्षिण में खरीदार की आराजी व नहर जिससे पानी खेतों में दिया जाता है स्थित है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण 1 व 2 जबरन प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 2066 में स्थित उसके हक व हिस्से की जमीन पर जबरन रास्ता निकालकर प्रश्नगत आराजी को खुर्द–बुर्द करना चाहते हैं जिसका उनको कोई कानूनी एवं वैधानिक अधिकार नहीं है। अगर अप्रार्थीगण प्रार्थी की प्रश्नगत आराजी में से रास्ता चाहते हैं तो उनको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) के तहत माननीय सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टतया न्योचित हित में स्वीकार करने योग्य प्रतीत होता है तथा अप्रार्थीगण 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ग्राम झालरापाटन के खसरा नम्बर 2066 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा में प्रार्थी के हक हिस्से की सीमा तक किसी भी तरह का रास्ता नहीं निकाले ना ही प्रार्थी की कृषि योग्य भूमि को खुर्द बुर्द करें और न ही प्रश्नगत आराजी में किसी भी तरह की बैजा मदालखत एवं मजामहत उत्पन्न ना करें। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तामील तकमील संबंधित वादपत्र के संलग्न की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2020.01.29 14:40:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: